

७ नवम्बर १९७४

संख्या ४७९६—जल (दूषण नियंत्रण एवं निवारण) ऐक्ट, १९७४ की धारा ४ (१) और ४(२) (ए), (बी), (सी), (डी), (३) (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य जल पर्यट (दूषण नियंत्रण एवं निवारण) का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन तत्कालिक प्रभाव से करते हैं। इसका मुख्यालय पटना में रहेगा :—

(१) विकास आयुक्त, बिहार सरकार, पटना—अध्यक्ष।

सदस्यगण

- (२) मुख्य अभियन्ता, लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
- (३) अपर मुख्य अभियन्ता, लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
- (४) सचिव, नागरिक विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- (५) सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- (६) डा० एस० एन० सिन्हा, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी।
- (७) प्रशासक, पटना नगर निगम।
- (८) अध्यक्ष, झरिया जल पर्यट, धनबाद।
- (९) डा० एस० के० सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, टिस्को लिमिटेड, जमशेदपुर।
- (१०) अध्यक्ष, भागलपुर नगरपालिका।
- (११) श्री जय कुमार पालित, सदस्य, गया नगरपालिका।
- (१२) श्री हरिहर नाथ, नालन्दा सिरामिक्स, रांची।
- (१३) जेनरल मैनेजर, भारतीय तेल निगम, बरौनी।
- (१४) जेनरल मैनेजर, मोकामा चर्म शौप, बाट हाथीदह।
- (१५) जेनरल मैनेजर, सुपरफीसफोट, सिन्दरी।
- (१६) मैनेजिंग डायरेक्टर, स्मिल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, पटना।
- (१७) श्री आनन्द नारायण शर्मा, कार्यपालक अभियन्ता, लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना, वर्तमान में भारत सरकार, कार्य और आवास मंत्रालय में प्रतिनियुक्त—सदस्य सचिव, अंशकालीन।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जी० एस० ग्रेवाल, विशेष सचिव।

७ नवम्बर १९७४

संख्या ४७९७—सं० ४७९६, दिनांक ७ नवम्बर १९७४ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के आदेश से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जी० एस० ग्रेवाल, विशेष सचिव।

The 7th November 1974

No. 4796.—In exercise of the powers conferred by section (4) (1) 4 (2) (a) (c) (d) (e) (f) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, the Governor of Bihar is pleased to constitute a Bihar State Water (Prevention and Control of Pollution) Board with headquarters at Patna and to appoint the following persons to be members of the Board with immediate effect :—

(1) Development Commissioner—Chairman.

Members

- (2) Chief Engineer, Public Health Engineering Department.
- (3) Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department.
- (4) Secretary, Urban Development Department.
- (5) Secretary, Industries Department.

35(a) Sp. Gazette, dated the 27-11-1974

- (6) Dr. S. N. Sinha, Senior Research Officer, Industrial Waste Disposal and Preventing of Water Pollution Unit, Patna.
- (7) Administrator, Patna Municipal Corporation.
- (8) Chairman, Jharia Water Board, Dhanbad.
- (9) Dr. S. K. Sinha, Medical Officer, Health and Family Planning, TISCO Ltd., Jamshedpur-1.
- (10) Chairman, Bhagalpur Municipality.
- (11) Shri Jaikumar Palit, Municipal Commissioner, Gaya Municipality.
- (12) Shri Harihar Nath, Nalanda Ceramics, Ranchi.
- (13) General Manager, Indian Oil Corporation, Barauni.
- (14) General Manager, Mokama Tannary, Bata, Hathidah.
- (15) General Manager, Super Phosphate Factory, Sindri.
- (16) Managing Director, Small-scale Industry Corporation, Patna.
- (17) Shri A. N. Sharma, Executive Engineer, Public Health Engineering Department at present on deputation to Government of India, Ministry of Works and Housing—*Member Secretary, Part time.*

By order of the Governor of Bihar  
G. S. GREWAL, Spl. Secy.

35(a) Sp. Gazette, dated the 27-11-1974